

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/798/

जबलपुर, दिनांक 24/02/2021

श्री नीरज यादव, भृत्य (कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को म.प्र. अवकाश नियम 31 एवं 36 के अनुसार रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/278 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा दिनांक 31.10.2020 से 17.11.2020 तक 18 दिन के अवैतनिक अवकाश के स्थान पर चिकित्सीय आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक D/799/

जबलपुर, दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री नीरज यादव, भृत्य (कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

2